141
129

मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल–462004

क्रमांक 1602/1756/2007/10–1 भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2007

प्रति,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
म.प्र. भोपाल।

विषय–वन कर्मचारी की मृत्यु के बाद 15 दिन के अंदर उन पर आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरण बनाने की जिम्मेदारी बाबत।

दिनांक 09.04.2007 को सम्पन्न सीएम एवं सीएस मानिट की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, वन द्वारा यह निर्देश दिये गये–

1. मध्यप्रदेश में कहीं भी वन कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है, तो मृत्यु की सूचना तत्काल उसी दिन या दूसरे दिन शासन को भेजी जाये।
2. कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त संबंधित वन मण्डलाधिकारी की यह जवाबदारी होगी कि मृत्यु के पश्चात 15 दिवस के अंदर ही कर्मचारी पर आश्रित व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति दिलाई जाने संबंधी सम्पूर्ण प्रकरण विभागाध्यक्ष कार्यालय को भेजा जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी वन वृत एवं सभी वन मण्डलाधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सी. एच. मुरलीकृष्णा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

R-314

पृष्ठांकन क्रमांक /1756/2007/10–1 भोपाल, दिनांक अप्रैल, 2007

प्रतिलिपि–
1. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

MOST URGENT
A.P.C.C.F. A.E.N.G.